संख्या–796 / 12–3–2018–100(41) / 2008

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 28 अगस्त, 2018

कृषि अनुभाग–3

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मत्स्य पालन की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–रा.कृ.वि.यो / 482 / लेखा–8 / 2018–19, दिनांक 14.07.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0–786.12 लाख (रू0 सात करोड़ छियासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार परियोजना के लिए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

धनराशि रू0 लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक / मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Establishment of Fish Seed Rearing	10.05.18	450.00	अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	105.45
				अनुदान–81 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	1.20
				अनुदान–83 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाए 27–सब्सिडी	28.35
				योग–	**135.00**
	Enhancement of Fish production through additional area coverage for fresh water fish culture	10.05.18	1600.00	अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	157.92
				अनुदान–81 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	1.20
				अनुदान–83 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाए 27–सब्सिडी	192.00
				योग–	**351.12**
	Pangasius Farming in Low Cost Recirculatory Aquaculture System (RAS)	10.05.18	1500.00	अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	219.15
				अनुदान–81 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाएँ 27–सब्सिडी	1.20
				अनुदान–83 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनाए 27–सब्सिडी	79.65
				योग–	**300.00**
				कुल योग	**786.12**

(रू0 सात करोड़ छियासी लाख बारह हजार मात्र)

2— स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3— स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों मे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— उपर्युक्त परियोजनाओं में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या—3497/12—3—2012—100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय एवं धनराशि का व्यय तदनुसार ही किया जाय।

5— स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल. एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय—व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6— योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

7— स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8— स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या—बी—1— 1195/दस—16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ—साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर—12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9— वित्त लेखा अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—ए—1—285/दस—2012—10(29)/2011टी.सी.—।। दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या—1—11011/58/2013—डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10— निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

11— स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12— उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय—व्ययक के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2017/बी—1—02/दस—2017— 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी—1—375/दस—2018—231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या—03/2018/बी—1—438 /दस—2018—231/2018, दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।